न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

प्र.क /　　　　/विविध　　विविध 9214-II-16

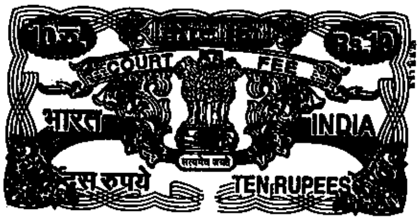

1. रन्नू देवी पत्नी स्व श्री रामगोपाल सिह उम्र 60 वर्ष पेशा घरू कार्य निवासी ग्राम तेंदुनी तहसील जवा जिला रीवा म.प्र।
2. गुलजारा देवी पत्नी श्री रामसंजीवन सिहं उम्र लगभग 75 वर्ष पेशा कृषि कार्य निवासी ग्राम तेंदुनी तहसील जवा जिला रीवा म.प्र।

आवेदकगण

बनाम

जगदीश सिह तनय श्री कल्लू प्रसाद सिंह उम्र लगभग 68 वर्ष पेशा कृषि कार्य निवासी ग्राम तेंदुनी तहसील जवा जिला रीवा म.प्र।

अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152 सी.पी.सी एवं सहपठित धारा 32 म.प्र भू.रा. संहिता प्र.क 3269/II /2016 आदेश दिनांक 26.09.2016 में हुई त्रुटियो को संशोधित करनें बावत्।

महोदय,

श्रीमान जी के समक्ष आवेदन पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है।

1. यह कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण 3269/II /2016 निगरानी में दिनांक 26.09. 2016 को अंतिम आदेश पारित किया गया है। जिसमें निम्न लिखित टंकण त्रुटिया पेश हो गयी है।

I. यह कि आदेश के द्वितीय पैरा की चौथी लाईन में ग्राम जवा अंकित हो गया है जो कि सही **बसरेही** है।

II. यह कि आदेश के द्वितीय पेरा की पॅाचवी लाईन में खसरा कमाक 1 अंकित हो गया है जो कि खसरा **कमाक 468** सही है।

III. यह कि आदेश के द्वितीय पेरा की पन्द्रहवी लाइन में आनावेदिका अंकित हो गाया है जो कि **अनावेदक** सही है।

IV. यह कि आदेश के द्वितीय पेरा की सोलहवी लाइन में ग्राम बंम्हना अंकित हो गाया है जो कि **बसरेही** सही है।

V. यह कि आदेश के द्वितीय पेरा की सत्रहवी लाइन में खसरा कमाक 128 एवं खाता कमाक 144 अंकित हो गाया है जो कि **468** सही है।

VI. यह कि आदेश के द्वितीय पेज के प्रथम पेरा की द्वितीय लाईन में नन्नू अंकित हो गाया है जो कि रन्नू सही है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण क्रमांक विविध 9214–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–11–2015	श्री पी0के0 तिवारी अभिभाषक द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 एवं सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता का पेश कर अनुरोध किया कि निगरानी प्रकरण क्रमांक 3269–दो/2016 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 26–9–2016 में कई टायपिंग त्रुटि हो गई हैं अतः उक्त टायपिंग त्रुटि में सुधार किया जाये। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय के मूल निगरानी प्रकरण का अवलोकन किया गया। विचारोपरांत मूल निगरानी के आदेश में हुई त्रुटि में सुधार करते हुये निगरानी प्रकरण क्रमांक 3269–दो/2016 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 26–9–2016 में आदेश के द्वितीय पैरा की चौथी लाईन में ग्राम जवा के स्थान पर ग्राम बसरेही, द्वितीय पैरा की पांचवी लाईन में खसरा क्रमांक 1 के स्थान पर खसरा क्रमांक 468, द्वितीय पेरा की सोलहवी लाईन में ग्राम बम्हना के स्थान पर ग्राम बसरेही तथा आदेश के अंतिम पैरा की तीसरी लाईन में आदेश दिनांक 09–6–2016 के स्थान पर 09–09–2016 पढ़े जाने के आदेश दिये जाते हैं। यह आदेश पत्रिका मूल आदेश का अंग होगी। आवेदक अभिभाषक द्वारा दर्शित अन्य त्रुटियों से प्रकरण के निष्कर्ष पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होता है। सदस्य	